

एसीएनो (क्रीड़ि) / एसीएनो  
न्यायालय कोट मुख्या-३, राजियाकाद स्थान अमृतप्रावाह

मिला २०१५ अगस्त

मूल संख्या

०५. ६९५/२०१५

संस्थित-दिनांक

४० मास ०५

सन् २० १५ ₹०

श्रीमती डॉ चंद्र पर्वती कृष्ण पात्र चार्व निवासी  
लेखन कालोनी मुरादनगर शाही उपनगर रक्षील  
गोदानपुर एवं गोदानपुर

ब्रह्म

ज्ञानेश्वर सिंह चार्व पुष्टि रवि महेन्द्र चार्व निवासी  
मूल श्राव्य हरिहरेश्वर लिला बागधार हाल राजस्थान  
खरोड जल अलीगढ़ जिला डालीगढ़

प्रतिवादी

वाद संख्या-

पक्षकारों का नाम-



टिप्पणी/जो किसी के ऊपर लिखे गये हैं वह प्रकारों ने  
जो उपस्थित नहीं हुई तभील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

व्याप्रदेश

16. यह है कि ताद का मूलचार्जन के लिये दावे  
विगदि तथा विवरण ग्रह इव भव एवं अद पर किए जाएं  
विविचन तथा व्युत्क्षयात्मक विवेद्यात्मक विवेद्यात्मक दें  
अधिकतमे असर के रुप ५०० अद किम प्राप्त है।

मूलचार्जन के रुप ५००,०००/- रुपये/  
उपस्थित ५००/- रुपये/

अकेन २० लाख रुपये कीमत  
जो व भव एवं अद पर किए जाएं

विविचन तथा व्युत्क्षयात्मक विवेद्यात्मक विवेद्यात्मक दें  
अधिकतमे असर के रुप ५०० अद किम प्राप्त है।

प्राप्त कर्ता-पर्वती

वादी के लिए श्री मत्यदेव वरमा ८५  
और प्रतिवादी के लिए श्री रामेश जोन ८०


अभिवक्ता क.

अभिवक्ता

को उपस्थिति में इस वाद के आज श्री ब्रामगढ़ी ४/४/२०१८ तिथि जोड़ (सी०५०) से ८०६  
के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर यह आदिष्ट और आज्ञाप्त किया जाता है कि—

श्री अंजय बादआ॒४२।

प्रत्युत वाद उम्मीद पक्ष के ग्राही हुए आपसी  
समझौतेजामे कागज मास्का ५९ का त ५० का वो  
शाती के अनुकूल ठिकात रखा जाता है। समझौतानाम  
बोवल भाग्यजाते के पक्षाङ्को के बीच घमार होगा।  
सिर्फ तृतीय पक्षाङ्क के द्वितीय द्वितीय वाद  
उसका बोइ गुम्भाव नहीं होगा, समझौतेजामे बोगज  
मास्का ५९ का व ५० का डिक्की का भाग होगा, वाद के  
उपर्युक्त वापरावाही पताकली नियमानुसार दरिखल  
होता है,



का राशि आज की तारीख से ज्ञापन की

प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित

को दी जाये।


को दी गई।

आ॒४२। १८-४-१९दराताक्षर ३०-४-१९ सुख फोटो प्रतिलिपि१०१०१०८मुख्य प्रतिलिपि  
सिद्धि कोटि, गाजियाबादRam manoharए०सी०जे० (सी०५०) / ए०सी०जे००८  
कोर्ट सद्या-६, गाजियाबाद

53 cm

## वाद के खर्च

गृहीत अधिकार के अन्तर्गत



प्रतिवादी के अभिवक्ता के हस्ताक्षर

१७. यह कि गार्हने मिन उत्तमाद पाने हो गार्हना करनी है।

- a. यह कि गार्हने की गवाई इन बेयामक विवेद्याओं की है कि विश्व उत्तरांश इस गार्हने से पारित हो जाएगी जो गार्हने के अवन्म द्वितीय खम्भे ₹०५. निः ग्राम सांहार्क्षण घोषणा लगाली गई न० साड़ीजादे लिला ग्रामिणाबाद (जिसका प्रभु मोहल्ला और उप उपनिवासी न० मुख्य बाजार) सुरादारी वाले के सामने नहमीन भोड़ीगारी लिला ग्रामिणाबाद पर दूपना डावेद्य में करने के बादनी के उत्तरांश चुचाग्र मुक्ति प्राप्ति करने के बाद रहे।
- b. यह कि काद तथा बादी जो उत्तरांश से छिलाई आती है।
- c. यह कि अन्य गोई झट्टांश रास अदालत हिन्दू वादनी विश्व उत्तरांश हो जाने की खबों





## आपसी समझौता एवम् रसीद

श्री झावेंद्र सिंह यादव पुत्र स्वर्ण श्री महेन्द्र सिंह यादव माता स्वर्ण

श्रीमति उर्मिला देवी तैनाती अपर जिला जज इलाहाबाद।

50 क  
प्रथम पक्ष

एवम्

श्रीमति ऊषा यादव पत्नी श्री कृष्णपाल यादव एडवोकेट निवासी- डिफेन्स  
कालोनी मुरादनगर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला  
उत्तरप्रदेश।

.... द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष एवम् द्वितीय पक्ष आपस मे भाँजा  
एवम् सगी मौसी है अर्थात् प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सगी बहन स्वर्ण  
श्रीमति उर्मिला यादव पत्नी स्वर्ण श्री महेन्द्र सिंह यादव का बेटा है।  
प्रथमपक्ष की माता के नाम एक प्लाट / मकान बजारिये बैनामा दिनाक-  
10.07.1991 को क्रय किया था तथा उस पर निर्माण किया, प्रथम  
पक्ष पिता के स्वर्गवास के पश्चात् अपनी मौसी द्वितीय पक्ष के साथ  
अपनी माता के साथ रहा और एक आर्दश उच्च शिक्षा ग्रहण की  
प्रथमपक्ष की माता श्रीमति उर्मिला देवी द्वारा एक पंजीकृत वसीयत  
दिनांक- 03.06.2013 को की गयी। प्रथम पक्ष की माता जी का  
स्वर्गवास दिनाक- 30.06.2014 को हो जाने पर आपस मे मकान के  
ऊपर विवाद उत्पन्न हुआ। शहर के मौजिज एवम् परिवार के बिरादरी के  
सम्मानित व्यक्तियो के बीच मे पड़ जाने के कारण आपस मे सदभावी  
रूप से समझौता हो गया है। किसी भी वाद विवाद मे न पड़ते हुये  
द्वितीय पक्ष प्रथमपक्ष को अपनी स्वैच्छा से वाद के नितारण हेतु मौजिज  
व्यक्तियो व प्रथम पक्ष ने स्वंय स्वीकार करते हुए अंकव 15 लाख

उषा यादव

लगातार

56 क  
5/2

रूपये उक्त मकान के सम्बन्ध में बिना किसी दबाव एंवम अपनी स्वेच्छा से उक्त मकान में जो भी हक बनता है या नहीं द्वितीय पक्ष से बजरिये एन.ई.एफ.टी नं0 पी19041528715680 से दिनांक 15.04.2019 से बैंक ट्रेड टैक्स बिल्डिंग, राजनगर शाखा गाजियाबाद से अपने बैंक एकाउन्ट नं0 11120779688 एस.बी.आई बैंक शाखा अलीगढ़ जिसका आई.एफ.एस.सी कोड SBIN0000604 में प्राप्त कर लिये है। भविष्य में प्रथम पक्ष या उसके वारिसान से उपरोक्त मकान का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और ना ही होगा। उक्त मकान की तन्हा मालिक, काबिज वसीयतनामा दिनांक 03.06.2013 के आधार पर द्वितीय पक्ष है और रहेगी जिसको प्रथम पक्ष अथवा उसके वारिसान को वसीयत एंव मकान के सम्बन्ध में चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष उस मकान को जिस प्रकार चाहे, प्रयोग, इस्तेमाल, विक्रय आदि करने की अधिकारी होगी। प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के विरुद्ध वाद संख्या—695/2014 न्यायालय सिविल जज (सी0डिओ) षष्ठम गाजियाबाद के न्यायालय में श्रीमति उषा यादव बनाम ज्ञानेन्द्र यादव व किमिनल रिवीजन संख्या— 247/2014 उषा यादव बनाम ज्ञानेन्द्र यादव धारा— 145 सी आर.पी.सी अतिरिक्त जिला जज गाजियाबाद के न्यायालय में विचाराधीन विवादो में श्रीमति उषा यादव व ज्ञानेन्द्र यादव के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है।

अतः यह आपसी समझौता रूबरू गवाहान लिख दिया है ताकि सनद रहे त वक्त बेवक्त काम आवें।

द्वितीय पक्ष


उषा पाठौ

प्रथम पक्ष

गवाहान

16/4/19  
K-729 अप्टी - 23  
मान्दा गांव, वाराणसी

16/4/19  
K-729 अप्टी - 23  
मान्दा गांव, वाराणसी



न्यायालय श्रीगान सिविल जज (सी०डि०) षष्ठा महोदय गाजियाबाद।

वाद स०- 695 / 2014

श्रीमति ऊषा

बनाम

बाबेन्द्र यादव

श्रीगान जी,

निवेदन है कि शहर के मौजिज एवं समानित व्यक्तियों के बीच मे पड़ जाने के कारण दोनों पक्षों का आपस मे समझौता हो गया है। प्रथम पक्ष मकान स्थित डिफेन्स कालोनी मुरादनगर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद जिसकी सीमाये पूरब- मकान विक्रोद, पश्चिम - रास्ता, उत्तर - रास्ता, दक्षिण मकान मदन उर्फ पस्ती है। कि उर्मिला देवी जो कि वादनी की सभी बहन के नाम बजरिये बैनामा दिनांक- 10.07.1991 मे वादनी व द्वितीय पक्ष की माता ने बैनामा कराया था। श्रीमति उर्मिला देवी ने उक्त सम्पति की बाबत अपनी स्वेच्छा से बिना किसी बहकाव व दबाव के व स्वास्थ्यित एवं इन्द्रियों के अनुसार मुख्तारनामा व पंजीकृत वसीयत दिनांक- 03.06.2013 को सब रजिस्टर कार्यालय मोदीनगर मे पंजीकृत करायी थी। श्रीमति उर्मिला देवी जो कि वादनी की बड़ी बहन थी का स्वर्गवास दिनांक- 30.03.2014 को हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादनी उक्त मकान की तन्हा मालिक काबिज चली आती हैं। किन्तु आपसी मनमुटाव के कारण दोनों पक्षों मे उक्त भवन के सम्बन्ध मे विवाद पैदा हो गया। इसी कारण वादनी की स्व० बहन उर्मिला देवी द्वारा की गयी पंजीकृत वसीयत के सम्बन्ध मे वाद विवाद उत्पन्न हुआ। वादनी के हक मे जो रजिस्टर वसीयत की गयी सही है। जो भी वाद विवाद वादनी एवं प्रतिवादी के मध्य जहां कही भी चल रहे हैं इस समझौते के आधार पर खारिज समझे जायेगे तथा धारा 145 सी०आर०पी०सी० के तहत वाद

ऊषा यादव

*[Signature]*

समझौतानामा कागज सं० 49 क व 50 क मय शपथपत्र 51ग व 52ग उभय पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। समझौतानामा पर वादिनी श्रीमती उषा की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यदेव वर्मा तथा प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र यादव की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश जैन द्वारा की गयी और फोटो को तस्दीक किया गया। समझौतानामा 49 क व 50 क पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे पक्षकारों ने सुनकर सही होने का कथन किया गया। समझौतानामा खुले न्यायालय में तस्दीक किया गया।

दिनांक 16.4.19

16/04/19  
अपर सिविल जज (सी०डि०)

कोर्ट संख्या-6, गाजियाबाद

by aman

अषा घाटे  
Neelanjali  
रामदेव यादव  
रामदेव  
16.4.19

sd.  
R. D.  
16.4.19



५९८  
२

को स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत भकान स्थित डिफेन्स कालोनी मुरादनगर जिला गाजियाबाद की वादनी तन्हा मालिक व काबिज होने के कारण प्रतिवादी व उसके वारिसान का कोई सम्बन्ध नहीं है और वा ही होगा। दोनों पक्षों के बीच कोई वाद विवाद नहीं रहा है। यह फैसला पारिवारिक शान्ति प्रिय रूप से सदभावी रूप से हुआ है। वाद उपरोक्त आपसी समझौते के आधार पर डिक्री किया जावे। खर्चा पक्षकारान दोनों पक्षों स्वयं वहन करेगे एवम् समझौता की डिक्री का भाग बनाया जावे।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रश्नगत भवन स्थित डिफेन्स कालोनी (विवादित भवन) वाद वादनी वसीयत दिनांक- 03.06.2013 सही है एवम् वैध है तथा वादनी मकान मालिक काबिज हैं वाद समझौते के आधार पर निर्णित किया जाये <sup>अंकुर अनन्त</sup> समझौता डिक्री का भाग रहेगा खर्चा फरीकैन स्वयं अपना - अपना वहन करेंगे।

दिनांक- 16.५.१९

*Rakesh Jain*  
प्रतिवादी

द्वारा-

RAKESH JAIN  
Advocate  
Reg. No. H.C. 1616, Ch. No. 691  
Civil Court, C.R. Ady. Code-77  
Mobile - 9363123128  
Email - jain4444@ymail.com

रात्यां फोटो जीतियि

उषा पाठ्य

वादनी

*JCC* *Jd.*  
सम्यदेव घरा  
एडवोकेट  
चौ नं 409-410  
प्रियंजलि बोर्ड गाजियाबाद